झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची
आपराधिक अपील (खंडपीठ) संख्या 2168/2023

1. सुशीला देवी
2. विश्वकर्मा गंझू

... याचिकाकर्ता

बनाम

1. एन. आई. ए. के माध्यम से भारत संघ
2. सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, सी.टी.सी.आर. प्रभाग, नॉर्थ ब्लॉक, डाकघर-नार्थ ब्लॉक, थाना-खान मार्केट, नई दिल्ली

... उत्तरदाता

कोरम माननीय जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद
माननीय जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव

अपीलार्थियों के लिएः श्री बालाजी श्रीनिवासन, अधिवक्ता
श्री निरंजन कुमार, अधिवक्ता
एन.आई.ए. के लिए: श्री सौरव कुमार, ए. सी, विशेष लोक अभियोजक
उत्तरदाता संख्या 2 के लिए :श्री प्रशांत पल्लव, डी. एस. जी. आई.

02/11.01.2024:
न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद के अनुसार,

1. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने ऑनलाइन माध्यम से इस मामले पर बहस करने का अनुरोध किया है।

2. तदनुसार, अनुरोध, जैसा कि मांगा गया है, स्वीकार किया जाता है और वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए हैं।

3. जबकि, प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष (शारीरिक रूप से) उपस्थित हैं।

4. ऑडियो और वीडियो गुणवत्ता के बारे में कोई शिकायत नहीं है।

5. राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 (जिसे आगे अधिनियम 2008 के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के तहत प्रस्तुत यह अपील 18.07.2023 को माननीय ए.जे.सी.-XVI-सह-विशेष न्यायाधीश, एनआईए, रांची द्वारा पारित आदेश के खिलाफ है, जो विशेष (एनआईए.) मामला संख्या 03/2018 से संबंधित है, जो आर.सी संख्या 06/2018/NIA/DLI के अनुसार है। यह मामला भारतीय दंड संहिता की धाराएँ 414, 384, 386, 387 और 120बी के तहत तथा शस्त्र अधिनियम की धाराएँ 25(1बी) ए, 26 और 35, सीएलए अधिनियम की धारा 17(1)(2) और यूए (पी) अधिनियम की धाराएँ 17, 18, 20 और 21 के तहत दर्ज किया गया था, जो तंडवा पी.एस. मामला संख्या 02/2016 से उत्पन्न हुआ है। जिसके अंतर्गत यूए (पी) अधिनियम की धारा 25(6) के तहत दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया गया है, जो कि उत्तरदाता संख्या 2 द्वारा आपराधिक विधिक याचिका संख्या 74/2020 में पारित आदेश

दिनांक 26.03.2019 से संबंधित है।

6. वर्तमान मामला 'आदेशों के लिए' शीर्षक के तहत सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें कार्यालय नोट दिनांक 08.01.2024 के अनुसार यह बताया गया है कि यह मामला बनाए रखने योग्य नहीं है क्योंकि यह अधिकतम वैधानिक अवधि 90 दिनों की समाप्ति के बाद दायर किया गया है।

7. इस प्रकार की कमी को इंगित करने का कारण यह है कि अधिनियम 2008 की धारा 21(5) में निर्धारित प्रावधान के अनुसार, यदि अपील अधिनियम 2008 की धारा 21(4) के तहत दायर की जाती है, तो अपील दायर करने की अवधि अधिकतम 90 दिनों की होती है।

8. श्री बालाजी श्रीनिवासन, अपीलकर्ता के लिए अधिवक्ता, ने इस मामले को प्रस्तुत करते हुए कहा कि अधिनियम 2008 की धारा 21(5) को अनिवार्य नहीं कहा जा सकता, बल्कि यह निर्देशात्मक/अनिवार्य है, क्योंकि धारा 21(5) के पहले उपबंध में 'सकता' शब्द डाला गया है, जो अपील अदालत, अर्थात उच्च न्यायालय को 90 दिनों की अवधि के बाद की विलम्ब को माफ करने का अधिकार प्रदान करता है।

9. उनके तर्क के अनुसार, देरी माफी आवेदन दायर करने की आवश्यकता है और इसी प्रकार, अंतर्वर्ती आवेदन आपराधिक अपील संख्या 2168/2023 दायर किया गया है, जबकि यह जानते हुए कि अपील 90 दिनों की देरी के बाद दायर की गई है।

10. अपने तर्क को मजबूत करने के लिए, उन्होंने बंबई उच्च न्यायालय द्वारा फ़ैज़ल हसामाली मिर्ज़ा उर्फ कासिब बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य के मामले में पारित निर्णय पर भरोसा किया, जो आपराधिक याचिका (स्टाम्प) संख्या 11931/2022 में है, और दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा फ़रहान शेख बनाम राज्य (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) के मामले में पारित निर्णय पर भी भरोसा किया, जो 2019 **SCC** ऑनलाईन डेल 9158 में रिपोर्ट किया गया है।

11. दूसरी ओर, प्रतिवादी-एन. आई. ए. की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अमित कुमार दास ने एन. आई. ए. अधिनियम, 2008 की धारा 21 (5) के प्रावधान की सहायता लेकर मामले को गंभीरता से चुनौती दी है।

12. राष्ट्रीय जांच एजेंसी के लिए उपस्थित अधिवक्ता ने यह इंगित किया है कि वर्तमान अपील बनाए रखने योग्य नहीं है, क्योंकि यह कार्यालय नोट दिनांक 08.01.2024 के अनुसार दायर की गई है, जो यह बताता है कि अपील अधिनियम 2008 की धारा 21(4) के तहत अधिकतम 90 दिनों की अवधि के बाद दायर की गई है।

13. एनआइए की ओर से यह भी बताया गया है कि 90 दिनों के भीतर अपील दायर करने के मुद्दे पर इस न्यायालय की खंडपीठ ने आपराधिक अपील (खंडपीठ) संख्या 1961/2023 के मामले में विचार किया है, जिसमें यह कहा गया है कि धारा 21(5) के तहत अपील दायर करने की अधिकतम अवधि 90 दिन अनिवार्य है। इसलिए, वर्तमान अपील को भी उक्त आदेश के अनुसार निपटाया जा सकता है, जिसमें इसे बनाए रखने योग्य नहीं माना गया है।

14. उत्तरदाता-एनआइए के लिए उपस्थित अधिवक्ता ने भी नासिर अहमद बनाम राष्ट्रीय जांच एजेंसी**,** आपराधिक याचिका संख्या **2168/2023** में केरल उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जो **2015** एससीसी ऑनलाईन केरल **39625** में रिपोर्ट किया गया है और शेख रहमतुल्ला एवं अन्य बनाम राष्ट्रीय जांच एजेंसी के मामले में कोलकाता उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर भरोसा किया, जो **2023** एससीसी ऑनलाईन कल **493** में रिपोर्ट किया गया है।

15. हमने पक्षों के लिए उपस्थित अधिवक्ताओं की बात सुनी है और उनके तर्कों पर विचार

किया है। रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि यह न्यायालय अधिनियम 2008 की धारा 21(4) के तहत दायर अपील पर सुनवाई कर रहा है, जो कि आपराधिक याचिका संख्या 74/2020 के खिलाफ पारित आदेश के विरुद्ध है।

16. इस न्यायालय को पक्षों के लिए उपस्थित अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों को समझने के लिए उचित और उपयुक्त लगता है कि वह अधिनियम की धारा 21(5) के संबंधित प्रावधान का संदर्भ ले।

> *"(5) इस धारा के तहत प्रत्येक याचिका न्यायालय के निर्णय, सजा या आदेश की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर दायर की जाएगी:*
>
> *यह शर्त है कि उच्च न्यायालय उक्त तीस दिनों की अवधि के समाप्त होने के बाद याचिका को स्वीकार कर सकता है यदि उसे यह संतोष हो कि अपीलकर्ता के पास तीस दिनों की अवधि के भीतर अपील न दायर करने का पर्याप्त कारण था:*
>
> *यह शर्त और है कि नब्बे दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद कोई याचिका स्वीकार नहीं की जाएगी।"*

17. यहाँ प्रश्न यह है कि कार्यालय नोट का विरोध करते हुए यह बताया गया है कि अपील 90 दिनों की अवधि के बाद भी दायर की जानी चाहिए, क्योंकि धारा 21(5) को अनिवार्य नहीं कहा जा सकता, बल्कि यह निर्देशात्मक है।

18. यह प्रश्न उठाया गया है कि उपरोक्त प्रावधान अनिवार्य नहीं है, बल्कि यह निर्देशात्मक है, इसलिए इसे इस न्यायालय द्वारा उत्तरित किया जाना आवश्यक है, क्योंकि कार्यालय ने नोट दिया है कि अपील 90 दिनों की अवधि के समाप्त होने के बाद दायर की गई है, इस प्रकार, यह मुद्दा विचारणीय है कि क्या अधिनियम 2008 की धारा 21(5) में निहित प्रावधान अनिवार्य है या निर्देशात्मक।

19. इस न्यायालय ने आपराधिक याचिका (खंडपीठ) संख्या 1961/2023 में इस मुद्दे का निर्णय लिया, जिसे 09.01.2024 को निपटाया गया, जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के मूल पर चर्चा करते हुए इस न्यायालय की डिवीजन बेंच ने यह कहा कि धारा 21(5) के तहत अपील दायर करने के लिए अधिकतम 90 दिनों की अवधि अनिवार्य है।

20. यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि इस न्यायालय की खंडपीठ ने उपरोक्त आपराधिक अपील में आदेश पारित करते समय विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों का ध्यान रखा है, जिनका उल्लेख पक्षों के लिए उपस्थित अधिवक्ताओं द्वारा किया गया था। संदर्भ के लिए, आपराधिक याचिका (खंडपीठ) संख्या 1961/2023 के संबंधित अनुच्छेद यहाँ उद्धृत किए जा रहे हैं:

*"**21**. यह कानून अच्छी तरह से स्थापित है कि यदि कोई वैधानिक प्रावधान अपने उद्देश्य और इरादे के संदर्भ में बनाया गया है ताकि अधिनियम का वास्तविक उद्देश्य प्राप्त किया जा सके, तो इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बलवंत सिंह बनाम जगदीश सिंह, **(2010) 8** एससीसी **685** के मामले में पारित निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है, जिसमें अनुच्छेद 32 में यह कहा गया है।"*

> *32"यह ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी विधानमंडल द्वारा कोई कानून बनाया जाता है, तो उसका उद्देश्य उसे उचित परिप्रेक्ष्य में लागू करना होता है। यह एक समान रूप से स्थापित कानूनी सिद्धांत है कि*

किसी अधिनियम के प्रावधानों, जिसमें प्रत्येक शब्द शामिल है, को पूर्ण प्रभाव दिया जाना चाहिए, विधायी इरादे को ध्यान में रखते हुए, ताकि निर्धारित उद्देश्य प्राप्त किया जा सके। दूसरे शब्दों में, कोई भी प्रावधान ऐसा नहीं माना जा सकता कि उसे बिना उद्देश्य के बनाया गया है।

22. इस न्यायालय ने उपरोक्त कानूनी सिद्धांत के प्रकाश में अब अधिनियम 2008 के निर्माण का मूल उद्देश्य और कारण संदर्भित करने की प्रक्रिया शुरू की है।

23. इस अधिनियम का मूल उद्देश्य यह है कि देश सीमा पार से प्रायोजित बड़े पैमाने पर आतंकवाद का शिकार रहा है। आतंकवादी हमलों की अनगिनत घटनाएँ हुई हैं, न केवल उग्रवाद और विद्रोह से प्रभावित क्षेत्रों में और चरमपंथ से प्रभावित क्षेत्रों में, बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों और प्रमुख शहरों में आतंकवादी हमलों और बम विस्फोटों के रूप में भी।

24. सरकार ने उचित विचार-विमर्श के बाद ऐसी स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना के लिए एक कानून बनाने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें विशेष अधिनियमों के तहत विशिष्ट मामलों की जांच करने, विशेष न्यायालयों की स्थापना और अन्य संबंधित मामलों के लिए प्रावधान होंगे।

25. इसलिए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी विधेयक, 2008 संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

26. इस विधेयक को अधिकांश सांसदों द्वारा सहमति दी गई थी और यह "राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008" के रूप में कानून का रूप ले लिया।

27. इसके अलावा, इस अधिनियम को बनाने का उद्देश्य अनुसूचित अपराधों की त्वरित जांच और अभियोजन को सुविधाजनक बनाना है, जिसमें वे अपराध भी शामिल हैं जो भारत के बाहर भारतीय नागरिकों के खिलाफ किए गए हैं या भारत के हितों को प्रभावित करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले कुछ नए अपराधों को अधिनियम की अनुसूची में अनुसूचित अपराधों के रूप में शामिल करने के लिए, अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करना आवश्यक हो गया है। इसलिए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा कुछ संशोधन किए गए हैं।

28. उपरोक्त अधिनियम के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन किया गया है।

29. अनुसूचित अपराधों की जांच करने के लिए केंद्रीय सरकार को राज्य सरकार की तुलना में शक्ति प्रदान की गई है, जैसा कि अधिनियम 2008 के अध्याय-III में किए गए प्रावधान से स्पष्ट होता है।

30. विशेष न्यायालयों द्वारा परीक्षण का संचालन करना अनिवार्य है, जैसा कि इसके अध्याय-IV में निहित प्रावधान में कहा गया है।

31. विशेष न्यायालयों का गठन करने का उद्देश्य बिना किसी रुकावट के त्वरित परीक्षण करना है, ताकि अधिनियम 2008 के वास्तविक उद्देश्य और इरादे को पूर्ण रूप से लागू किया जा सके और देश की अखंडता बनाए रखी जा सके।

32. राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम में एक अनुसूची भी शामिल है, जैसा कि धारा 2(1) (एफ) के तहत संदर्भित किया गया है, जिसके द्वारा कुछ अपराधों को अनुसूचित अपराधों के दायरे में लाया गया है, जिसे निम्नलिखित रूप में संदर्भित किया गया है:
"2(1) (एफ) 'अनुसूची' का अर्थ इस अधिनियम की अनुसूची है।"

33. धारा 2(1)(एफ) 'अनुसूची' की परिभाषा से संबंधित है, जिसका अर्थ इस अधिनियम की अनुसूची है और सभी अनुसूचित अपराधों को, जैसा कि धारा 2(1)(जी) के तहत प्रदान किया गया है, विशेष न्यायालय द्वारा परीक्षण किया जाना है और राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा इसकी जांच की जानी है, जैसा कि धारा 6 में किए गए प्रावधान के तहत कहा गया है, जो केंद्रीय सरकार को राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर जांच करने का अधिकार देता है। इसके अलावा, केंद्रीय सरकार को भी स्वत: संज्ञान लेने का अधिकार है कि वह जांच को अपने हाथ में ले सकती है, लेकिन उपरोक्त प्रावधान के साथ-साथ धारा 10 भी मौजूद है, जो राज्य सरकार को अनुसूचित अपराधों की जांच करने का अधिकार प्रदान करती है।

34. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी, 2008 के गठन का मुख्य उद्देश्य उन अनुसूचित अपराधों से निपटना है, जिनका आरोप की प्रकृति के संदर्भ में गंभीरता है, जिसमें यूए (पी) अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम आदि शामिल हैं।

35. अधिनियम 2008 को एक स्वयं निहित अधिनियम बनाया गया है और इसमें अपील के लिए मंच का प्रावधान भी किया गया है, जैसा कि धारा 21 में कहा गया है। यह प्रावधान गैर-प्रतिबंधात्मक क्लॉज के साथ शुरू होता है कि कोड में निहित किसी भी बात के बावजूद, विशेष न्यायालय के किसी भी निर्णय, सजा या आदेश (जो कि एक अंतरिम आदेश नहीं हो) के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जा सकेगी, दोनों तथ्यों और कानून पर।

36. धारा 21 की उप-धारा (2) में कहा गया है कि उप-धारा (1) के तहत प्रत्येक अपील उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों की बेंच द्वारा सुनी जाएगी और इसे अपील की स्वीकृति की तारीख से तीन महीने के भीतर निपटाने का प्रयास किया जाएगा।

37. धारा 21 की उप-धारा (3) में कहा गया है कि किसी भी विशेष न्यायालय के किसी भी निर्णय, सजा या आदेश (जिसमें अंतरिम आदेश भी शामिल है) के खिलाफ किसी भी न्यायालय में कोई अपील या पुनरीक्षण नहीं होगा।

38. धारा 21 की उप-धारा (4) में कहा गया है कि विशेष न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जा सकेगी, जो जमानत देने या अस्वीकार करने से संबंधित हो।

39. लेकिन ऐसी अपील दायर करने के लिए एक शर्त रखी गई है, चाहे वह धारा 21(1) या धारा 21(4) के तहत हो, कि इसे निर्णय, सजा या आदेश की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर दायर किया जाना चाहिए।

40. धारा 21(5) में दो उपबंध शामिल हैं;
"पहला उपबंध उच्च न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करता है कि उच्च न्यायालय उक्त तीस दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद अपील को स्वीकार कर सकता है यदि उसे संतोष हो कि अपीलकर्ता के पास तीस दिनों की अवधि के भीतर अपील न दायर करने का पर्याप्त कारण था।"
दूसरा उपबंध बहुत स्पष्ट है, जो कहता है "कि नब्बे दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी।"

41. अधिनियम 2008 के निर्माण का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित अपराधों की सुनवाई और अपील का मंच प्रदान करना है, जैसा कि अधिनियम 2008 की धारा 2(1)(जी) में संदर्भित किया गया है।

42. विशेष न्यायालय का गठन करने का मुख्य उद्देश्य परीक्षण को तेज करना है और आगे की विधायी प्रक्रिया धारा 21(1), 21(3) और 21(4) के प्रावधानों के रूप में बनाई गई है, जिसके द्वारा मंच प्रदान किया गया है।

44. इसके अलावा, कुछ अनुसूचित अपराधों, जैसे कि यूए (पी) अधिनियम, 1967 में, पूर्व-गिरफ्तारी जमानत का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि यूए (पी)अधिनियम, 1967 की धारा 43(डी)(5) के तहत विशेष प्रतिबंध लगाया गया है। इसलिए, विधानमंडल ने कुछ अनुसूचित अपराधों को पूर्व-गिरफ्तारी जमानत के विशेषाधिकार के दायरे से बाहर कर दिया है और इस प्रकार, विशेष न्यायालय द्वारा पारित आदेश की उचितता पर विचार करने के लिए जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 से संबंधित है, उस व्यक्ति के संबंध में जो हिरासत में लिया गया है, यह आवश्यक है कि ऐसे आरोपित व्यक्ति को पूर्व-गिरफ्तारी जमानत दायर करने की स्थिति में नहीं होना चाहिए यदि उसे हिरासत में पूछताछ के लिए लिया गया हो और जब नियमित जमानत की प्रार्थना को अस्वीकार किया जा रहा हो, तो इसे खंडपीठ द्वारा सुना जाना चाहिए।

45. जब ऐसा तंत्र बनाया गया, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्थापित सिद्धांत को भी ध्यान में रखा गया है। लेकिन यह भी स्थापित है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करता है जो अनुसूचित अपराधों के दायरे में आता है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अपराध करने पर प्रबल नहीं होने दिया जाएगा, ताकि देश में संतुलन बनाए रखा जा सके और कानून के शासन को लागू किया जा सके।

46. बिना किसी संदेह के, भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 एक मौलिक अधिकार है जिसे एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसी सुरक्षा प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करती है। यदि किसी व्यक्ति को अनुसूचित अपराधों जैसे गंभीर अपराधों का दोषी पाया जाता है, तो कानून के शासन को बनाए रखने का प्रश्न अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रबल माना जाएगा।

47. धारा 21(5) के प्रावधान को निर्देशात्मक और अनिवार्य न मानने का प्रश्न यहाँ मूल प्रश्न है।

48. यह विवाद में नहीं है कि धारा 21(5) में दो प्रावधान शामिल हैं, पहला उपबंध जो निम्नलिखित रूप में है-:

> *"बशर्ते कि उच्च न्यायालय तीस दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद एक अपील पर विचार कर सकता है यदि यह संतुष्ट हो कि अपीलार्थी के पास तीस दिनों की अवधि के भीतर अपील को प्राथमिकता नहीं देने के लिए पर्याप्त कारण था:"*

49. पहले उपबंध में 'सकता' शब्द है, जिसे अपीलकर्ता के अनुसार निर्देशात्मक और अनिवार्य नहीं माना जाता है, जिसके अनुसार अपील 30 दिनों की अवधि के भीतर दायर की जानी चाहिए और यदि पर्याप्त कारण प्रस्तुत किया जाता है, तो अपीलीय न्यायालय के पास देरी को माफ करने का अधिकार होगा।

50. दूसरा उपबंध भी है जो निम्नानुसार है:-

> *"बशर्ते कि नब्बे दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा।"*

51. दूसरा उपबंध यह निर्धारित करता है कि अपीलीय न्यायालय 90 दिनों की अवधि से अधिक की अपील पर विचार नहीं करेगा।

52. मामला अलग होता अगर धारा 21 (5) में केवल एक परंतुक होता, यानी पहला परंतुक, लेकिन इसे दूसरे परंतुक के साथ जोड़ा गया है, जिसमें विशिष्ट प्रावधान 90 दिनों की अवधि से

अधिक की अपील पर विचार नहीं करने पर प्रतिबंध लगाते हुए किया गया है।

53. उपरोक्त दो परंतुक, यदि एक साथ पढ़े जाते हैं, तो इस न्यायालय के सुविचारित दृष्टिकोण के अनुसार, धारा 21 (5), जो 90 दिनों की अवधि के भीतर अपील दायर करने के लिए सीमा की अवधि प्रदान करती है, को अनिवार्य कहा जाएगा।

72. इस न्यायालय ने अधिनियम के उद्देश्य और आशय को ध्यान में रखते हुए और धारा 21 (5) के दोनों प्रावधानों के साथ इसे एक साथ पढ़ने पर यह विचार किया है कि हमारे सुविचारित दृष्टिकोण के अनुसार अधिकतम 90 दिनों की अवधि के साथ अपील दायर करने का उपरोक्त प्रावधान अनिवार्य है।

73. इस न्यायालय ने विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों पर विचार किया है, जैसे कि केरल उच्च न्यायालय द्वारा नासिर अहमद बनाम राष्ट्रीय जांच एजेंसी के मामले में, जो ***2015*** *एससीसी ऑनलाईन केरल* ***39625*** *में रिपोर्ट किया गया है, जिसमें अपील में यह मुद्दा था कि अधिनियम 2008 की धारा 21 के अनुसार, अपील निर्णय, सजा या आदेश की तारीख से 90 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद दायर की जा सकती है और क्या उच्च न्यायालय धारा 5 के तहत अपील दायर करने में देरी को माफ कर सकता है।*

74. केरल उच्च न्यायालय ने उपरोक्त मुद्दे का उत्तर देते हुए अधिनियम के वास्तविक उद्देश्य को ध्यान में रखा है, जैसा कि इसके अनुच्छेद-22 से स्पष्ट होता है, और यह निष्कर्ष पर पहुँचा है कि धारा 5 का प्रावधान सीमितता अधिनियम के अंतर्गत लागू नहीं होगा, यह मानते हुए कि अधिनियम 2008 की धारा 21(5) के तहत 90 दिनों की अवधि की सीमितता अनिवार्य है। संदर्भ के लिए, उक्त निर्णय का अनुच्छेद-22 निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है-:

> *"22. एनआईए अधिनियम एक ऐसा अधिनियम है जो राष्ट्रीय स्तर पर एक जांच एजेंसी के गठन के लिए है, ताकि भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों और अंतरराष्ट्रीय संधियों, करारों, सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र, इसकी एजेंसियों और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रस्तावों के तहत अपराधों की जांच और अभियोजन किया जा सके। एनआईए का पर्यवेक्षण केंद्रीय सरकार के पास होगा, जैसा कि एनआईए अधिनियम की धारा 4 में प्रदान किया गया है। धारा 6 अनुसूचित अपराधों की जांच के लिए प्रावधान करती है। धारा 7 में कहा गया है कि एनआईए राज्य सरकार से अनुरोध कर सकती है कि वह जांच में सहयोग करे। धारा 9 में अनिवार्य किया गया है कि राज्य सरकार अनुसूचित अपराधों की जांच के लिए एजेंसी को सभी सहायता और सहयोग प्रदान करेगी। अनुसूचित अपराधों के परीक्षण के लिए धारा 11 के तहत विशेष न्यायालयों का गठन किया गया है। एनआईए अधिनियम की धारा 15 लोक अभियोजकों और अतिरिक्त लोक अभियोजकों की नियुक्ति के लिए प्रावधान करती है। धारा 16 विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियों के लिए प्रावधान करती है। एनआईए अधिनियम की धारा 19 कहती है कि अधिनियम के तहत किसी भी अपराध का परीक्षण विशेष न्यायालय द्वारा प्रतिदिन आधार पर सभी कार्य दिवसों पर किया जाएगा और यह किसी अन्य न्यायालय (जो विशेष न्यायालय नहीं है) में आरोपी के खिलाफ किसी अन्य मामले के परीक्षण पर प्राथमिकता*

रखेगा और इसे ऐसे अन्य मामले के परीक्षण से पहले समाप्त किया जाएगा, और तदनुसार ऐसे अन्य मामले का परीक्षण यदि आवश्यक हो तो स्थगित रहेगा। धारा 21 की उप-धारा (2) कहती है कि उप-धारा (1) के तहत प्रत्येक अपील उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों की बेंच द्वारा सुनी जाएगी और इसे अपील की स्वीकृति की तारीख से तीन महीने के भीतर निपटाने का प्रयास किया जाएगा। एनआईए अधिनियम की धारा 21 की उप-धारा (5) के उपबंधों का दायरा अधिनियम में अन्य प्रावधानों के प्रकाश में विचारित किया जाना चाहिए। उप-धारा (5) की धारा 21 में सीमितता की अवधि तीस दिन निर्धारित की गई है। उप-धारा (5) के पहले उपबंध में उच्च न्यायालय को तीस दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद अपील स्वीकार करने का अधिकार दिया गया है, यदि उसे संतोष हो कि अपीलकर्ता ने तीस दिनों की अवधि के भीतर अपील न दायर करने का पर्याप्त कारण दिया है। दूसरा उपबंध कहता है कि नब्बे दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी। उप-धारा (5) का पहला उपबंध स्वयं अपील दायर करने में देरी को माफ करने से संबंधित है और उच्च न्यायालय द्वारा आदेश की तारीख से नब्बे दिनों तक (छह सौ दिनों तक) देरी को माफ किया जा सकता है। यह प्रतिबंध लगाते हुए कि नब्बे दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी, लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 का अनुप्रयोग स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है। उच्च न्यायालय को अपील दायर करने में देरी को माफ करने का अधिकार है। लेकिन यह अधिकार उप-धारा (5) के पहले उपबंध के तहत सीमित है। दूसरे उपबंध में एक अतिरिक्त प्रतिबंध स्पष्ट संकेत देता है कि उच्च न्यायालय देरी को माफ करने के लिए लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 का प्रयोग नहीं कर सकता। इस हद तक, यह लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 का स्पष्ट बहिष्कार बनता है जैसा कि लिमिटेशन एक्ट की धारा 29(2) में विचारित किया गया है। उपरोक्त कारणों से, हम इस विचार पर हैं कि देरी को माफ करने का आवेदन स्वीकार्य नहीं है। तदनुसार, देरी को माफ करने का आवेदन और आपराधिक अपील दोनों अस्वीकार किए जाते हैं।"

75. कोलकाता उच्च न्यायालय ने भी शेख रहमतुल्ला और अन्य बनाम राष्ट्रीय जांच एजेंसी के मामले में समान मुद्दे पर विचार किया है, जो 2023 एससीसी ऑनलाईन कल 493 में रिपोर्ट किया गया है, जहाँ यह मुद्दा भी था कि एनआईए अधिनियम, 2008 की धारा 21 के तहत अपील 90 दिनों की अवधि के बाद दायर की जा सकती है, क्या इसे 1963 के लिमिटेशन अधिनियम की धारा 5 के तहत माफ किया जा सकता है।

76. हमने उक्त निर्णय का अध्ययन करने के बाद पाया है कि अधिनियम 2008 को विशेष कानून माना गया है जो उन अपराधों से संबंधित कार्यवाही को नियंत्रित करता है जिन्हें अधिनियम 2008 के तहत विशेष न्यायालयों द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा, यह स्थापित कानूनी स्थिति का संदर्भ देते हुए कहा गया है कि अधिनियम विधानमंडल का एक आदेश है और किसी अधिनियम की व्याख्या या निर्माण करने का पारंपरिक तरीका विधानमंडल की

मंशा को जानने के लिए होता है। विधानमंडल की मंशा को अधिनियम को संपूर्ण रूप में पढ़कर समझा जाना चाहिए। जहाँ अधिनियम के शब्द स्पष्ट, साधारण या अस्पष्ट नहीं हैं, वहाँ न्यायालयों को उस अर्थ को प्रभाव में लाने के लिए बाध्य किया जाता है, चाहे उसके परिणाम जो भी हों। संदर्भ के लिए, उक्त निर्णय के अनुच्छेद-67 और 69 यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं:-

> *"**67**. जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, अधिनियम 2008 एक विशेष कानून है जो उन अपराधों से संबंधित कार्यवाही को नियंत्रित करता है जिन्हें अधिनियम 2008 के तहत विशेष न्यायालयों को निर्णय लेने के लिए सौंपा गया है, जो अधिनियम 2008 की अनुसूची में उल्लिखित हैं।*
> ***69**. यह एक स्थापित कानूनी सिद्धांत है कि अधिनियम विधानमंडल का एक आदेश है और किसी अधिनियम की व्याख्या या निर्माण करने का पारंपरिक तरीका विधानमंडल की मंशा को जानने के लिए होता है। विधानमंडल की मंशा को अधिनियम को संपूर्ण रूप में पढ़कर समझा जाना चाहिए। जहाँ अधिनियम के शब्द स्पष्ट, साधारण या अस्पष्ट नहीं हैं, वहाँ न्यायालयों को उस अर्थ को प्रभाव में लाने के लिए बाध्य किया जाता है, चाहे उसके परिणाम जो भी हों। अधिनियम के शब्दों के लिए कुछ अन्य शब्दों का स्थानापन्न करना गलत और खतरनाक है। व्याख्या के नियम न्यायालयों को शब्द जोड़ने की अनुमति नहीं देते जब तक कि धारा जैसे है वैसी अर्थहीन या संदिग्ध अर्थ की न हो।"*

77. बॉम्बे उच्च न्यायालय ने भी इसी मुद्दे पर विचार किया है कि क्या अपीलीय न्यायालय के पास अधिनियम 2008 की धारा 21(5) के दूसरे उपबंध के अनुसार 90 दिनों की अवधि के बाद दायर की गई अपील को स्वीकार करने की शक्ति है।

78. उक्त मुद्दे का उत्तर देते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की आत्मा को ध्यान में रखा गया और यह निष्कर्ष निकाला गया कि धारा 21(5) को अनिवार्य नहीं माना जा सकता, अन्यथा यह न्याय के साथ अन्याय होगा। इस निष्कर्ष पर पहुँचा गया है कि यदि धारा 21(5) का प्रावधान अनिवार्य माना जाएगा, तो यह न्याय के साथ अन्याय का कारण बनेगा।

*79. दिल्ली ने भी वही दृष्टिकोण अपनाया है जो बॉम्बे उच्च न्यायालय ने फरहान शेख बनाम राज्य राष्ट्रीय जांच)एजेंसी(के मामले में अपनाया था, जो **2019 SCC** ऑनलाईन दिल्ली **9158** में रिपोर्ट किया गया है।*

*80. इस समय पर, यह लाभदायक होगा कि हम कानून की स्थापित व्याख्या पर चर्चा करें कि विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों का बाध्यकारी प्रभाव नहीं होता, बल्कि यह प्रेरणादायक प्रकृति का होता है। यह भी स्थापित कानूनी स्थिति है कि यदि कोई उच्च न्यायालय विभिन्न उच्च न्यायालयों या अन्य उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण से सहमत नहीं है, तो संबंधित उच्च न्यायालय को यह बताने के लिए एक कारण प्रस्तुत करना आवश्यक है कि किसी अन्य उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का प्रेरणादायक मूल्य क्यों नहीं है। इस संदर्भ में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदीप जे. मेहता बनाम आयकर आयुक्त, अहमदाबाद, **(2008) 14** एससीसी **283** के मामले में पारित निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है, जिसमें अनुच्छेद-23 में कहा गया है जो निम्नलिखित है:—*

> *"23. हालाँकि, उपरोक्त संदर्भित निर्णयों को उच्च न्यायालय में बार में उद्धृत किया गया था, जिन्हें उच्च न्यायालय की बेंच के न्यायाधीशों ने ध्यान में रखा, लेकिन बिना किसी सहमति या असहमति को दर्ज किए,*

इसने राजस्व के पक्ष में उसे संदर्भित दो प्रश्नों का उत्तर दिया। न्यायिक शिष्टता, उचितता और अनुशासन की आवश्यकता थी कि उच्च न्यायालय, विशेष रूप से जब इसका दृष्टिकोण विपरीत हो या असहमति हो, तो विभिन्न उच्च न्यायालयों के उपरोक्त निर्णयों पर चर्चा करे और अपने विपरीत दृष्टिकोण के लिए अपने कारण दर्ज करे। हम यह तथ्य अच्छी तरह से समझते हैं कि एक उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय अन्य उच्च न्यायालयों पर बाध्यकारी नहीं होते, लेकिन फिर भी, उनके पास प्रेरणादायक मूल्य होता है। एक अन्य उच्च न्यायालय को अन्य उच्च न्यायालयों द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से भिन्न होने का अधिकार है, लेकिन पूरी निष्पक्षता में, उच्च न्यायालय को अपनी असहमति के साथ उसके कारण दर्ज करने चाहिए। अन्य उच्च न्यायालयों के निर्णय, हालांकि बाध्यकारी नहीं हैं, प्रेरणादायक मूल्य रखते हैं जिन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए और अपनी स्वयं की वजहें दर्ज करके असहमति व्यक्त की जानी चाहिए।"

81. अब हम विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों, अर्थात् बॉम्बे उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय की जांच करने जा रहे हैं, यह देखने के लिए कि इनमें से कौन सा निर्णय यहाँ शामिल मुद्दे के लिए प्रेरणादायक मूल्य रखता है।

82. हम, केरल उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों का अध्ययन करने के बाद, यह पाया है कि बॉम्बे उच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह विचार किया है कि यदि 90 दिनों की अवधि के बाद अपील दायर करने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो यह न्याय के साथ अन्याय का कारण बनेगा और अंततः यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के खिलाफ होगा।

83. लेकिन, हम इस दृष्टिकोण से सम्मानपूर्वक असहमत हैं कि यदि वैधानिक अनिवार्यता ने अधिकतम 90 दिनों की अवधि के भीतर अपील दायर करने का प्रावधान किया है, तो अपील को अधिकतम 90 दिनों की अवधि के भीतर दायर किया जाना चाहिए। इन परिस्थितियों में, यदि कोई व्यक्ति जांच के दौरान हिरासत में है या दोषसिद्धि के निर्णय के बाद हिरासत में है, तो अपील को अधिकतम 90 दिनों की अवधि के भीतर दायर करना आवश्यक होगा, जिससे भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के वास्तविक उद्देश्य और इरादे को प्राप्त किया जा सके। इसका कारण यह है कि यदि दोषसिद्धि के निर्णय में कोई विकृति है या कोई आदेश जो संबंधित व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है, तो इसे तुरंत निर्धारित अवधि के भीतर दायर किया जाना चाहिए।

85. हमारे विचार के अनुसार, केरल उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय निम्नलिखित कारणों से प्रेरणादायक मूल्य रखता है:

(i) यदि धारा 21(5) के तहत देरी को माफ करने का सिद्धांत पर्याप्त कारण पर आधारित है, तो ऐसी परिस्थितियों में, यदि किसी व्यक्ति को अनुसूचित अपराध के तहत दोषी ठहराया गया है, तो वह उचित कारण बताकर देरी को माफ करने के लिए 90 दिनों की अवधि के बाद भी अपील दायर करेगा। ऐसे में, अधिनियम को लागू करने के लिए जो उद्देश्य और इरादा निर्धारित किया गया है, वह क्या होगा?
(ii) इसके अलावा, जब व्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का दावा करता है, यदि उसने अधिकतम 90 दिनों की अवधि के भीतर

अपील दायर नहीं की, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को अनुच्छेद 21 की भावना का उल्लंघन करने का दावा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसका कारण यह है कि जब अधिनियम स्वयं इस तथ्य को ध्यान में रखता है कि अपील को अधिकतम 90 दिनों की अवधि के भीतर दायर किया जाना चाहिए ताकि मुद्दे का निर्णय अपीलीय न्यायालय द्वारा किया जा सके, तो यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 पर विचार किया जाएगा। और यदि अपील 90 दिनों की अवधि के बाद दायर की जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के उल्लंघन का दावा करने की अनुमति कैसे दी जा सकती है?

(iii) इस प्रकार यह स्पष्ट है कि एक ओर अधिनियम के उद्देश्य को प्राप्त करने और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के सिद्धांत को सुरक्षित करने के लिए दोहरे परीक्षण को तभी पूरा किया जाएगा जब अधिनियम को पूरी तरह से पढ़ा जाएगा और कहा जाएगा कि इसका उद्देश्य पूरा हो गया है, यदि वैधानिक प्रावधान का उचित पालन किया जाना है।

(iv) अपील दायर करने के लिए प्रदान की गई 90 दिनों की अवधि का उद्देश्य पीड़ित को अपील करने का अवसर प्रदान करना है, ताकि उसे जल्दी ही यह देखने का अवसर मिल सके कि क्या विवादित आदेश, निर्णय या सजा में कोई विकृति मौजूद है या जमानत के लिए प्रार्थना को अस्वीकार करने वाले आदेश में कोई समस्या है।

86. इस न्यायालय का विचार है कि अधिनियम 2008 की धारा 21(5) में निहित प्रावधान, जो अधिकतम 90 दिनों की अवधि के भीतर अपील दायर करने की अनिवार्यता को निर्धारित करता है, यह कहा जाएगा कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के वास्तविक उद्देश्य को पीड़ितों के लिए प्राप्त करता है।

87. इस न्यायालय का विचार है कि यहां ऊपर की गई चर्चा के आधार पर, यह केरल उच्च न्यायालय और कोलकाता उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सहमत है।

88. इसके अलावा, बॉम्बे उच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय, इस न्यायालय के विचार के अनुसार और संबंधित उच्च न्यायालयों को सभी सम्मान के साथ, यह माना जाता है कि उपरोक्त निर्णयों को प्रेरणादायक मूल्य नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि जिन कारणों के आधार पर केरल उच्च न्यायालय और कोलकाता उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों को प्रेरणादायक मूल्य माना गया है, वे यहां संदर्भित किए गए हैं।

89. यह भी उल्लेखनीय है कि सुनवाई के दौरान बार में सूचित किया गया था कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थगित रखा गया है।

90. हमने इसकी जांच करने पर पाया कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) डायरी संख्या 41439/2019 के अंतर्गत 02-12-2019 को पारित आदेश के माध्यम से स्थगित रखा गया है।

91. तदनुसार, और यहां ऊपर की गई चर्चा के आधार पर, इस न्यायालय का विचार है कि कार्यालय नोट जो इस तथ्य के मद्देनजर वर्तमान अपील की स्वीकार्यता पर आपत्ति उठाता है कि अपील अधिकतम वैधानिक अवधि 90 दिनों की समाप्ति के बाद दायर की गई है, इसे यहां बनाए रखा जाता है।

92. परिणामस्वरूप, वर्तमान अपील असफल होती है और इसे स्वीकार्यता के आधार पर खारिज किया जाता है।

21. इस न्यायालय का विचार है कि उपरोक्त चर्चा के अनुसार, जैसा कि यहां ऊपर किया गया है, और इसी प्रकार का मुद्दा पहले ही आपराधिक याचिका (खंडपीठ) संख्या 1961/2023 में तय किया जा चुका है, इसलिए वर्तमान अपील को स्वीकार्यता के आधार पर खारिज किया जाना चाहिए।

22. तदनुसार, वर्तमान अपील असफल होती है और इसे स्वीकार्यता के आधार पर खारिज किया जाता है।

23. इसके परिणामस्वरूप, अंतरवर्ती आवेदन संख्या 278/2024 निपटाई जाती है।

(सुजीत नारायण प्रसाद, न्यायधीश)
(प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, न्यायधीश)

रोहित/एएफआर

यह अनुवाद पियूष आनंद, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|